न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 39/2021

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गुलाबगिरी पुत्र जोरगरजी निवासी दूधवट तहसील रानीवाडा जिला–जालोर		1. अरविन्द पुत्र गजाराम 2. देवाराम पुत्र गजाराम जातियान कलबी निवासीयान मेडा तहसील रानीवाडा जिला–जालोर 3. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

दावा बाबत बंटवाड़ा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादीगण अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह देवड़ा।
2. प्रतिवादी संख्या 3 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक 28.06.2022

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिनके तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि मौजा मेडा तहसील रानीवाडा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त व सामलाती खातेदारी की आराजी नवीन खसरा नबंर 343 रकबा 0.36 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नबंर 344 रकबा 1.47 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नबंर 345 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नबंर 346 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन सडा, खसरा नबंर 347 रकबा 0.44 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नबंर 348 रकबा 0.46 हैक्टर, खसरा नबंर 349 रकबा 0.43 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम जुमले रकबा 3.21 हैक्टर की आई हुई है। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अरविन्द पुत्र गजाराम हिस्सा 3/8 जाति कलबी साकिन देह खातेदार गुलाबगिरी पुत्र जोरगर हिस्सा 1/4 जाति स्वामी साकिन देह खातेदार, देवाराम पुत्र गजाराम हिस्सा 3/8 जाति कलबी साकिन देह खातेदार दर्ज है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 3/8 हिस्सा खातेदारी की है। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सामलाती व संयुक्त खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बीच मौके पर बंटवाडा हो चुका है, परन्तु रेकर्डेड विधिवत बंटवाडा नहीं हुआ है। [illegible] उक्त विवादीत आराजी में खसरा नबंर 348 व 349 पर कब्जा है। उक्त [illegible] आराजी सामलाती खातेदारी की होने से उक्त आराजी को विकसित करने में कठिनाईयां आ रही है तथा काश्त करने में भी कठिनाईयां आ रही है। वादी ने दिनांक 25.6.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति से विधिवत बंटवाडा करवाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:56:24 IST
Reason: SelfAttested

कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने में आना–कानी की तथा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त आराजी से लाठी के बल पर बेदखल करने तथा उक्त आराजी का बिना बंटवाडा करवाये विशेष भु–भाग पर कब्जा कर उक्त आराजी में बिना सहमति के रास्ता निकालने की ऐलानियां धमकी दी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी को हैरान व परेशान कर वादी के हिस्से की आराजी को औने–पौने दामों में खरीद करना चाहते है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा सामलाती खातेदारी का होने से वादी उक्त आराजी का मौके पर कब्जे काश्त अनुसार व बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा करवा कर वादी उक्त आराजी में से 1/4 हिस्सा अलग बंटवाडा में प्राप्त करने के अधिकारी होने से तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अवैध व गैर कानुनी कृत्यों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रूकवाने के वादी अधिकारी होने से वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत् बंटवाडा खातेदारी व स्थाई निषेघाज्ञा का पेश है।

2. विनायवाद सर्वप्रथम उस समय पैदा हुआ जब वादी ने 25.6.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति से विधिवत बंटवाडा करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने में आना–कानी की तथा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त आराजी से लाठी के बल पर बेदखल करने तथा उक्त आराजी का बिना बंटवाडा करवाये विशेष भु–भाग पर कब्जा कर उक्त आराजी में बिना सहमति के रास्ता निकालने की ऐलानियां धमकी दी तत्पश्चात वाद कारण निरन्तर जारी है।

3. इस्तदुआ वादी है कि निम्न आश्य की डिक्री बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण सादीर फरमाई जावे कि सरहद मौजा मेडा तहसील रानीवाडा के खेत नवीन खसरा नबंर खसरा नबंर 343 रकबा 0.36 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नबंर 344 रकबा 1.47 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नबंर 345 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नबंर 346 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन सडा, खसरा नबंर 347 रकबा 0.44 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नबंर 348 रकबा 0.46 हैक्टर, खसरा नबंर 349 रकबा 0.43 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम जुमले रकबा 3.21 हैक्टर का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बीच मौके पर कब्जे काश्त व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा कर उक्त आराजी में से वादी को 1/4 हिस्सा खसरा नबंर 348 रकबा 0.46 हैक्टर व खसरा नबंर 349 रकबा 0.43 हैक्टर आराजी में से अलग बंट में दिया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 3/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 को प्रत्येक को 3/8 हिस्सा उनके कब्जे काश्त माफिक अलग–अलग बंट में दिया जावें तथा इसी माफिक लगाान के निर्धारण व राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदार रानीवाडा को आदेश फरमावें। तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे कि वे बाद बंटवाडा वादग्रस्त आराजी में वादी के बंट की आराजी में वादी के कब्जे [illegible] न तो स्वयं कोई दखल करे तथा न ही किसी अन्य से कोई दखल करावे।

4. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर [illegible] जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर बाद तामिल समन अनुपस्थित रहने से इनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:56:24 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। व प्रतिवादी संख्या 3 राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं दिया गया।

5. दिनांक 20.01.2022 को न्यायालय द्वारा वादी अधिवक्ता के निवेदन पर खातेदारो के हक हिस्से अनुसार मौजा मैड़ा तहसील रानीवाडा में खाता संख्या 43 के खसरा नम्बर 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 रकबा क्रमश 0.36, 1.47, 0.01, 0.04, 0.44, 0.46, 0.43 हेक्टेयर जूमले रकबा 3.21 हैक्टेयर आराजी के मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2022/228 दिनांक 03.03.2022 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/राजस्व/2022/500 दिनांक 26.05.2022 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।

6. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया। वादी व वादी के अधिवक्ता को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति प्रकट की एवं आदेर्शिका पर हस्ताक्षर किये। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	गुलाबगिरी पुत्र जोरगर कौम स्वामी सा. देह	348	0.46	0.395	बा.प्र.	गुलाबी	नियमानुसार
		349	0.43	0.40	बा.प्र.		
	कूल	2	—	0.7950	—	—	
2.	अरविन्द पुत्र गजाराम, देवाराम पुत्र गजाराम कौम कलबी सा. देह	343	0.36	0.36	बा.प्र. जा.प्र.	आसमानी	नियमानुसार
		344	1.47	1.47	बा.प्र.		
		345	0.01	0.01	गै.मु. बेरा		
		346	0.04	0.04	गै.मू. सडा		
		347	0.44	0.44	बा.प्र. जा.प्र.		

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:56:24 IST
Reason: SelfAttested

		348	0.46	0.065	बा.प्र.		
	कुल	**6**	—	**2.385**	—	—	
3.	अरविन्द पुत्र गजाराम हिस्सा 3/8 ,देवाराम पुत्र गजाराम हिस्सा 3/8 कौम कलबी, गुलाबगिरी पुत्र जोरगर हिस्सा 1/4 कौम स्वामी	349	0.43	0.03	बा.प्र. (रास्ता हेतु)	काला	नियमानुसार
	कुल	**1**	—	**0.03**	—	—	

7. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला—जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:56:24 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6—7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix “D”-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादी		प्रतिवादीगण
गुलाबगिरी पुत्र जोरगरजी निवासी दूधवट तहसील रानीवाडा जिला—जालोर	बनाम	1. अरविन्द पुत्र गजाराम 2. देवाराम पुत्र गजाराम जातियान कलबी निवासीयान मेडा तहसील रानीवाडा जिला—जालोर 3. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 39/2021

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री श्रवणसिंह देवड़ा उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 3 राजपेरोकार उपस्थित, तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के विरूद्ध अनुपस्थित रहने से एक पक्षकीय कार्यवाही होने से अनुपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	गुलाबगिरी पुत्र जोरगर कौम स्वामी सा. देह	348	0.46	0.395	बा.प्र.	गुलाबी	नियमानुसार
		349	0.43	0.40	बा.प्र.		
	कूल	2	—	0.7950	—	—	
2.	अरविन्द पुत्र गजाराम, देवाराम पुत्र गजाराम कौम कलबी सा. देह	343	0.36	0.36	बा.प्र.,जा.प्र.	आसमानी	नियमानुसार
		344	1.47	1.47	बा.प्र.		
		345	0.01	0.01	गै.मु. बेरा		
		346	0.04	0.04	गै.मू. सडा		
		347	0.44	0.44	चा.प्र. जा.प्र.		
		348	0.46	0.065	बा.प्र.		
	कुल	6	—	2.[illegible]	—	—	
3.	अरविन्द पुत्र गजाराम हिस्सा 3/8 ,देवाराम पुत्र गजाराम हिस्सा 3/8 कौम	349	0.43	0.03	बा.प्र.(रास्ता हेतु)	काला	नियमानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:36:24 IST
Reason: SelfAttested

	कलबी, गुलाबगिरी पुत्र जोरगर हिस्सा 1/4 कौम स्वामी						
	कुल	1	—	0.03	—	—	

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमो नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 28.06.2022 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्द्ई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	0	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:56:24 IST
Reason: SelfAttested